In case of old buildings, the Software Unit should have been in esistance for more than one year.

75% portion of the proposed building shall be used for residential purpose of the employees of the Unit.

The above relaxation shall be given only in Existing FAR stipulated in rules. The provisions in rules for Ground Coverage. M. O. S. and Height of building shall remain unchanged."

order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh
S. K. DUBEY, Addl. Secy.

अंतिम नियम वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2000

क. एफ-30-40-95-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त ाम मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 है.
 - (2) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को लागू होंगे.
- 'क'(3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से
- 2. त स्थाषा.— इन नियमों में अधिनियम से अभिप्रेत हैं, भारतीय अन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16).
- 3. पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन.—किसी भी वनोपज का, मध्यप्रदेश राज्य में या उसके बाहर या उसकी भीतर, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति के सिवाय, इन नियमों से संलग्न प्ररूप (क), (ख) या (ग) में अभिवहन पास के बिना गमनागमन नहीं किया जाएगा. अभिवहन पास, किसी वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या ऐसा पास जारी करने के लिए इन नियमों के अधीन सम्यक्रूप से माधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा:

परन्तु कोई भी अभिवहन पास—

(क) किसी ऐसी वनोपज को, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे ग्राम की सीमाओं के भीतर, जिसमें यह पैदा हुई हो, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गए विशेवाधिकार या अधिनियम के अधीन मान्य किए गए अधिकार का प्रयोग

- (ख) ऐसी वनोपज को, जिसे राज्य सरकार द्वारा, राज गत्र में प्राप्त अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी उरए
- (ग) ऐसी वनोपज को, जो तत्समय प्रवृत्त इस निमित्त बन् ए गए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी को ।ई धन संबंधी रसीद (मनी रिसीट)/रेटेड पास/वनोपज पास/ार्टिंग चालान के अन्तर्गत आती हो.
- (घ) लघु वनोपज को, वन से स्थानीय बाजार को या ग्यहण केन्द्र को या घरेलू उपभोग के लिए.
- (ङ) वन से ऐसे खनिज को, जिसके लिए इन नियमों के नधीन अभिवहन पास आवश्यक नहीं है, हटाने के लिए े क्षित नहीं होगा.

4. **पास जारी करने वाले अधिकारी और व्यक्ति.**—इन नयमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को पार जारी करने की शक्ति होगी:—

- (क) उस वनोपज के लिए, जो सरकार की हो, डिवीजनल तोरस्ट आफिसर, सब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या को अन्य अधिकारी, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा लि उत में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो.
- (ख) किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज के लिए, डिट जनल कारेस्ट आफिसर या ऐसा कोई अधिकारी, जो न्याल (फारेस्टर) के पद से निम्न पद का न हो या ऐस अन्य व्यक्ति, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा लिं रत में प्राधिकृत किया गया हो या ग्राम पंचायत जिसकी अधि गरिता में वनोपज पाई गई हो या पैदा हुई हो.
- (1) निम्नलिखित प्रजाति के काग्ठ तथा ईंधन के परित्र ने के लिए अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी:—
 - (एक) नीलगिरी-यूकेलिप्टस प्रजातियां.
 - (दो) कैसृरिना—कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया.
 - (तीन) सूबयूल-लेन्सेनिया प्रजातियां.
 - (चार) पापलर-- गप्युलस प्रजातियां.
 - (पांच) इजरायली बबूल-एकेशिया टॉरटिलिस.
 - (छह) विलायती ब्बूल-प्रोसोपिस जुलिपलोरा
- (2) प्रायंबेट भूमि (भूमिस्वामी) में पाये गये वृक्षों से अ भ्याप्त काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिये अभिवह पास नीचे अधिकथित की गई-प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा:—
- (क) निम्नलिखित प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के परिवहन दे, लिए अभिवहन पास, इस प्रयोजन के लिये सम्यक् रुप से ठित "पंचायत स्तर समिति" की सिफारिश के अनुसार पं शयत द्वारा जारी किया जाएगा:—

MINDER TIMBER MINDER FROM FORDER SALEM

- (दो) सिरिस-अल्बीजिया प्रजातियां
- (तीन) नीम-अजाहरक्टा इंडिका
- (चार) बेर—जिजुफस प्रजातियां.
- (पांच) पलास-ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
- (छह) जामुन-साइजेजियम कुमिनी
- (सात) रिमझा-अकेशिया ल्यूको फलोइया.
- (आठ) बांस (बेम्बू) खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया और सीधी जिलों के सिवाय.
- (ख) 4 (ख) (1) तथा 4 (ख) (2) (क) में उल्लिखित से भिन्न समस्त प्रजातियों के काष्ठ/ ईंधन के लिये अभिवहन पास, पंचायत स्तर समिति की शिफारिश के अनुसार, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट आफिसर) द्वारा जारी किया जाएगा.
- (ग) जिले के भीतर वनोपज का परिवहन करने के लिये ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिवहन पास जारी करेगा. जिले से बाहर बनोपज का परिवहन करने के लिये अभिवहन पास, डिविजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट आफिसर) द्वारा जारी किया जाएगा.
- (घ) अभिवहन पास जारी करने के लिए, सुसंगत दस्तावेजों तथा जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के भीतर अभिवहन पास जारी किया जाएगा.
- (ङ) लोक वानिकी मिशन के अधीन निजी स्वामित्व के काष्ठ का परिवहन भी ऊपर विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा.
- (च) अनुबद्ध समय में अभिवहन पास,जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/अधीनस्थ तथा पंचायत के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
- 5. अभिवहन पास जारी करने के लिए फीस की दरें.—राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी, नियम 4 के उपबंधों के अनुसार अभिवहन पास जारी करने के लिए फीस की दरें नियत करेगा.
- 6. अभिवहन पास की विषयवस्तु .—(1) नियम 3 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक अभिवहन पास में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :—
 - इस व्यक्ति का नाम, जिसे ऐसा पास मंजूर किया गया है.

- (ख) उसके अन्तर्गत आने बाली क्लोपन की सात्रा औः विवरण, लट्टों की दशा में नाप सहित एक सूची अभिवहः। पास के साथ संलग्न की जाएगी.
- (ग) स्थान, जहां से तथा जहां तक ऐसी ब्लोपब का प्रव गा किया जाना है.
- (घ) वह मार्ग, जिससे ऐसी वनोपज का प्रकहण कि_{नेटन फर्स}
- (ङ) वह कालाविध जिसके लिए पास प्रवृत्त रहेगा.
- (च) हथोड़े के वैध चिन्ह का छाप.
- (2) अभिवहन पास, इन नियमों से संलग्न प्रारूप क, ा या ग में नीचे उपदर्शित किये गये अनुसार जारी किया ज गेगः
- प्ररूप—क—वन अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत यक्ति द्वारा जारी किया जाए.
- प्ररूप-ख- ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाए.
- प्ररूप—ग—डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्रत्विकृत अधिकारी, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का हो, फारेन पास के स्थान पर जारी किया जाए.
- (3) अभिवहन पास की प्रत्येक पुस्तक के बारे में संदेर तिश प्रथल मुख्य वन संरक्षक (प्रिंसीपल चीफ कंजरबेटर वर्षक फारेस्ट, मध्यप्रदेश) द्वारा समय-समय पर विहित की जायेगी.
- (4) अभिवहन पास दो प्रतियों में और पुस्तकों के रूप में जिल्टर्ट होगा, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर से आ प्राप्त कि जायेगा. प्रत्येक पुस्तक पर एक पहचान क्रमां होगा और प्रत्येक पुस्तक में पास, क्रम से संख्यांकित किये नाने चार्र प्रथम पृष्ठ प्रतिपर्ण होगा तथा द्वितीय पृष्ठ उपज ा भारसार संख्यांकि को दिया जायेगा.
- 7. प्रत्येक लोड के लिये पृथक् पास होगा.—िकसी हो अभिवहन पास में सामान्यत: एक लोड से अधिक का समावेश नहीं होगा, चाहे ऐसे लोड का किसी व्यक्ति, किसी पशु द्वारा या किसी हान में वहन किया जाए.
- 8. पासों को बिगाड़ा नहीं जायेगा.—िकसी अधि हतन पास में मार्ग और कालावधि के विषय को छोड़कर मुद्रित यार्ग रखित किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह केट न किसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से निम्न पद है भी का न हो, पास में उल्लिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से कि ग जा सकेयां.

- 9. निरंक पास की पुस्तकों का उन्हें जारी करने के लिये प्राधिकृत क्यिंकियों का ग्राम पंचायत को प्रदाय किया जाना.—(1) जब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर नियम-4 के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन किसी अधिकारी या व्यक्ति को अधिवहन पास जारी करने के लिये प्राधिकृत करता है तो वह ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत को, निरंक पास की अभिप्रमाणीकृत पुस्तकें समय-समय अंदेगा.
- (2) प्राधिकृत व्यक्ति या ग्राम पंचायत, जिसकों ऐसी पुस्तक प्रदाय की गई है, नियम 6 के उपनियम (3) के अधीन यदि कोई राणि नियत की गई हो, तो उसका संदाय करेगा.
- (3) कोई व्यक्ति, जिसे पास जारी करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, उसके प्राधिकार की शर्तों के अनुसार ही अभिवहन पास कारी करेगा.
- 10. उपयोग किये गये अभिवहन पासों के प्रतिपणों के लेखों का वापिस किया जाना.—(1) ग्राम पंचायत या कोई ब्यक्ति, जिसको अभिवहन पास की पुस्तक प्रदाय की गई है, डिविजनल फारेस्ट आफिसर को, उसके द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास पर उद्धरित वनोपज का सासिक लेखा प्रस्तुत करेगा.
- (2) उपयोग किये गये तथा उपयोग न किये गये समस्त अभिवहन पासों के प्रतिपर्ण (काउंटर फाईल) यदि कोई हो, उस अधिकारी को प्राप्तिस किये जायेंगे, जिससे पासों की पुस्तक प्राप्त की गई थी. जब तक पूर्व में उपयोग किये गये समस्त पासों के प्रतिपर्ण वापिस नहीं किये जाते, अभिवहन पास की नई पुस्तक (बुक) का प्रदाय नहीं किया जायेगा
- 11. मांग किये जाने पर प्रतिपणीं का निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जाना.—ग्राम पंचायत या कोई व्यक्ति, जिसे नियम 4 के खंड (ग्) के अधीन अभिवहन पास जारी करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, यदि किसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से सन्ति पद श्रेणी का न हो, ऐसी अपेक्षा की जाये तो वह समस्त ऐसे पासों मानुतिपणीं को, जो ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये इन्होंनेरीक्षण के लिये पेश करने या वापस करने के लिये आवद्ध होगा.
- 12. पास जारी करने के प्राधिकार के रद्दकरण या समाप्ति पर प्रक्रिया.—यदि नियम 4 के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्राधिकार रद्द कर दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकार इस प्रकार रद्द कर दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकार इस प्रकार रद्द कर दिया गया है, अभिवहन पासों की उपयोग में न लाई गई प्रत्येक पुस्तक तथा उसके कब्जे में की ऐसी पुस्तक के उपयोग में न लाये गये भाग उपयोग में लाये गये पासों के प्रतिपर्ण के साथ, बदि कोई हो, जो में वापिस न किये गये हों, उस अधिकारी को, जिसने उसे प्राधिकार हो, तत्काल वापिस करेगा.

- 13. अधिकारी या ग्राम पंचायत या प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये गये अभिवहन पास कब अविधिमान्य होंगे.—ग्राम पंचायत या प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास विधिमान्य नहीं होंगे :—
 - (क) यदि ऐसा पास, नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन इस प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये निरंक प्ररूप पर तैयार न म्या गया हो..
 - (ख) यदि पास ग्राम पंचायत स्तर समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत नहीं आता है, या
 - (ग) यदि पास ऐसे अधिकारी या व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा पास जारी करने का प्राधिकार रद्द करने व्यले आदेश की प्राप्ति के पश्चात जारी किया गया हो.
- 14. काष्ठ पर संपत्ति तथा अभिवहन चिन्हों का लगाया जाना.—िकसी भी काष्ठ का मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से या जिले के भीतर तब तक गमनागमन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस पर ऐसी डिजाईन का शासकीय अभिवहन चिन्ह या ग्राम पंचायत का सम्पत्ति चिन्ह न हो, जैसा कि इस निमित्त डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा समय-समय पर, विहित किया जाए.
- 15. संपत्ति चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण.—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत को, आवेदन करने पर, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा एक सम्पत्ति चिन्ह आवंटित किया जायेगा, जो काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े पर लगाया जाएगा, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा अभिवहन पास जारी किया जाना है.
- (2) कोई भी व्यक्ति उसके स्वामित्व की काष्ठ पर संपत्ति चिन्ह के लिये डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को आवेदन कर सकेगा जो उस डिवीजन के डिवीजनल फारेस्ट आफिसर कार्यालय में रिजस्ट्रीकृत होगा, जिसमें उसका परिवहन किया जाना है.
- (3) प्रत्येक संपत्ति चिन्ह डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा अनुमोदित आकृति का होगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसा चिन्ह रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो किसी दूसरे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही रिज़स्ट्रीकृत किए गए या राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त चिन्ह के समरूप है या जिसके संबंध में भ्रम हो सकता है. ऐसे विवाद की दशा में कि रिज़स्ट्रीकरण के लिए प्रस्तावित चिन्ह पूर्व में रिज़स्ट्रीकृत किसी अन्य चिन्ह से अत्यधिक समानता रखता है या नहीं, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा.

- (4) र्राजस्ट्रीकरण के लिए 50/- रुपये फीस देय होगी और ऐसा राजस्ट्रीकरण, राजस्ट्रीकरण की तारीख से उस वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रभाषी होगा.
- (5) आकृति (डिवाइस) प्रदर्शित करने वाला रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, अपना चिन्ह रजिस्ट्रीकरण कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डिबीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा दिया जाएगा.
 - 16. बनौपज को दिन के प्रकाश में ही हटाया जायेगा.—डिवीजनल स्ट आफिसर की लिखित में विशेष अनुज्ञा के सिवाय, किसी भी पिज का , सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व के समय के स, बनों के भीतर परिवहन नहीं किया जायेगा.
- 17. वनोपज के आयात हेतु रजिस्ट्रीकरण.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश राज्य में वनोपज आयात करने का आशय रखता है, स्वयं को संबंधित डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत व्याएगा, जहां कि दन उपज का परिवहन किया जाना है.
- (2) डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन ग्राप्त होने पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात् और आवेदक द्वारा रु. \$00/- का भुगतान कर दिए जाने पर रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा आवेदक को प्ररूप-घ में आयात का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा तथा ऐसा पिकस्ट्रीकरण, कलेण्डर वर्ष के लिए विधिमान्य होगा.
- (3) काष्ठ का आयात करने वाला व्यक्ति, उसका तिमाही लेखा, संबंधित डिवॉजनल फारेस्ट आफिसर को प्ररूप-ङ में प्रस्तुत करेगा.
- 18. फारेन पास—(1) (क) ऐसी समस्त वनोपज, जो मध्यप्रदेश राज्य में आयात की जा रही है, निर्यात किए जाने वाले राज्य द्वारा जारी किए गए, अभिवहन पास के अन्तर्गत होनी चाहिए तथा काष्ठ के मामले में प्रत्येक टुकड़े (पीस) पर अभिवहन पास पर उपदर्शित हथौड़े का छाप होना चाहिए.
- (ख) मध्यप्रदेश के सीमा जांच नाके (वार्डर चैकिंग बैरियर) पर मूल पास के स्थान पर इस संबंध में प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा नया अभिवहन पास जारी किया जाएगा और मूल पास जमा कर लिया जायेगा.
- (ग) कोई काष्ठ जिसका आयात राज्य में उपयोग के लिये किया जा रहा हो, हथौड़े से चिन्हित किया जाएगा.
- (घ) हैमरिंग कीस, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए सीमा जांच नाके पर वसूल की जाएगी.
- (ङ) ऐसी दशा में जब, वनोपज मध्यप्रदेश में से होकर जा रही हो, प्रथम सीमा जांच नाके से गन्तव्य तक के लिये राज्य के अंतिम सीमा जांच नाके को उल्लिखित करते हुए अभिवहन पास जारी किया जाएगा.

- (2) प्रत्येक फारेन पास ऐसे प्ररूप में होगा, जो उस डिवीजन के डिविजनल फारेस्ट आफीसर के कार्यालय में रिजस्ट्रीकृत किया गया हो, जिसमें उसके अधीन बनोपज का आयात किया जाना चाहा गया हो.
- 19. सरकारी चिन्हों की नकल नहीं की जाएगी या उन्हें मिटाया नहीं जाएगा.—वन अधिकारी या ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति, जिसका कर्तव्य ऐसे चिन्हों का उपयोग करना है किसी सरकारी अभिवहन चिन्ह या ऐसे चिन्ह, जिससे सरकार के काष्ठ चिन्हांकित की गई हो, के समरूप या उसके अतिसदृश्य कोई संपत्ति चिन्ह काष्ठ के लिए उपयोग में नहीं लायेगा और कोई भी व्यक्ति जब कोई काष्ठ किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत या नियम 4 के खण्ड (ग) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी पास के अधीन अभिवहन में हो, उस पर के किसी चिन्ह को परिवर्तित नहीं करेगा या उसे नहीं मिटायेगा.
- 20. अभिवहन में की बनोपज को रोका जाएगा तथा उसकी जांच की जाएगी.—(1) अभिवहन में की कोई बनोपज, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, और ऐसी बनोपज का वहन करने वाले पशु यान, जलयान या क्राफ्ट को कोई बन, पुलिस या राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर रोका जा सकेगा, निरुद्ध किया जा सकेगा, उसका परीक्षण किया जा सकेगा या उसकी जांच की जा सकेगी, यदि ऐसे अधिकारी को यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हों कि उसका अभिवहन, इन नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा है या उसके संबंध में सरकार को शोध्य किसी धन का भुगतान नहीं किया गया है या वह कि उसके संबंध में कोई वन संबंधी अपराध किया गया है या किया जा रहा है:

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी किसी वनोपज को, जो वैध रूप से अभिवहन में है, तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से निरुद्ध नहीं करेगा और न ही ऐसी वनोपज को तंग करने की दृष्टि से या वनोपज का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए अनावश्यक रूप से उतारेगा या उतरवायेगा.

- (2) ऐसी वनोपज का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे किसी अधिकारी को समस्त जानकारी, जो वह उसके संबंध में देने में समर्थ हो, देगा और यदि वह वनोपज को अभिवहन पास के अधीन हटा रहा है तो ऐ पास, मांग किए जाने पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए पेश करेगा, तथा ऐसे अधिकारी द्वारा वनोपज को रोके जाने या परीक्षण किए जाने को किसी भी प्रकार से नहीं रोकेगा या उसका विरोध नहीं करेगा.
- (3) (क) अभिवहन में की प्रत्येक वनोपज, मार्ग पर वन नाके (जांच नाके) पर जांच के लिए प्रस्तुत की जाएगी.
- (ख) जांच नाके का भारसाधक, उसमें दिए गए ब्यौरों के अनुसार मात्रा की तथा पास पर यथादर्शित हथौड़ा चिन्ह की छाप की जांच तथा सत्यापन करेगा. वनोपज की वैधता का समाधान हो जाने के पश्चात् अभिवहन पास में उल्लिखित ब्यौरों की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए नाके पर रखे रजिस्टर में की जायेगी तथा इस प्रकार की गई प्रविष्टि के

य़ामने वनोपज का वहन करने वाले यान के चालक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जायेंगे. जांच नाके का भारसाधक, अभिवहन पास में विहित किए गए स्थान पर तारीख सहित अपने हस्ताक्षर करेगा तथा मुहर लगाएगा.

- (4) यदि कोई फर्क या अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के उपबंध लागू होंगे.
- 21. काष्ठ के संपरिवर्तन का प्रतिषेध.—वन विभाग के नियंत्रण के किसी आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत वनों की सीमाओं के भीतर तथा ऐसी सीमाओं के अस्सी किलोमीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति, किसी वन अधिकारी की, जो वन संरक्षक (कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट) की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो लिखित पूर्व मंजूरी के बिना चारकोल या कत्थे का विनिर्माण नहीं करेगा.
- 22. नियमों का भंग करने पर शास्ति.—(1) जो कोई इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या प्राधिकार के बिना अथवा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन पासों को जारी करता है, वह ऐसी अविध के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी था ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा.

- (2) ऐसं मामलों में, जहां अपराध सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व विधिपूर्ण प्राधिकारी के प्रतिरोध के लिए तैयारी के साथ किया जाता है, या जहां अपराधी पूर्व में ऐसे ही अपराध के लिए सिद्ध दोष उहराया जा चुका है तो अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, ऊपर उपनियम (1) में यर्णित शास्ति से दगनी होगी.
- 23. निरसन.—इन नियमों के प्रवृत्त होने पर, इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जाएंगे:

परन्तु इस प्रकार निरंसित किन्हों भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. ए. किन्हाल, अपर सचिव.

प्ररूप-क [नियम 6 (2) देखिए]

पुस्तक क्रमांक	प्रतिपर्ण अभिवहन पास		पृष्ठ क्रमांक
(1)	(2)		(3)
1.	भंडारण का स्थान	:	
	(क) परिक्षेत्र (रेंज)	:	
	(ख) डिवीज्न (खण्ड)	:	
2.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	:	
3.	वनोपज का विवरण तथा मात्रा	:	
4.	सम्पत्ती चिन्ह आदि	:	
5.	उस स्थान का नाम, जहां वनोपज का	:	
	परिवहन किया जाना है.		
6.	मार्ग, जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन	:	
	किया जाना है.		
7.	नाका (बेरियर), जहां वनोपज जांच हेतु	:	
	पेश की जावेगी.		
8.	पास के अवसान की तारीख	•	

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ख [नियम 6 (2) देखिए]

ग्राम पंचायत द्वारा जाही किया जाएगा

पुस्तक क्रमांक (1)	प्रतिपर्ण अभिवहन पास (2)		ष्ट्रच हमांक (3)
1.	संकल्प क्रमांक तथा तारीख	:	
2.	उद्गम स्थान	:	
	(क) पंचायत का नाम/ग्राम खसरा क्रमांक	:	
	(ख) भूमिस्वामी का नाम	:	
3.	वनोपज के स्वामी के नाम तथा पता	:	
4.	उपज का विवरण एवं मात्रा, सम्पत्ति चिन्ह, यदि कोई हो.	:	
5.	उस स्थान का नाम, जहां वनोपज का परिवहन किया जाना है.	:	
6.	मार्ग, जिसके द्वारा उपज का परिवहन किया जाना है.	:	
7.	नाका (बेरियर), जहां वनोपज की जांच की जाएगी.	:	
8.	पास के अवसान की तारीख	:	

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

जारी करनेकाले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:--द्वितीय पर्ण. प्रतिपर्ण के समान होगा.

प्ररूप-ग [नियम 6 (2) देखिए]

फारेन पास के बदले में जारी किया जाए

पुस्तक क्रमांक (1)	अभिवहन पास प्रतिपर्ण (2)		पृष्ट क्रमांक (3)
1.	उद्गम का स्थान	:	
	(क) स्थान का नाम	:	
	(ख) वन/डिपो का नाम तथा प्रास्थित (स्टेटस)	:	
	(ग) विक्रेता का नाम	:	
2.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	:	
3.	फारेन पास का क्रमांक तथा तारीख	:	
4.	फारेन पास जारी करने वाला प्राधिकारी	:	

(1)	(2)		(3)
5.	उपज का विवरण तथा मात्रा	:	
6.	सम्पत्ति चिन्ह आदि	:	
7.	उस स्थान का नाम, जहां उपज का परिवहन किया जाना है.	:	
8.	सीमा जांच नाके (बेरियर) का नाम	:	
9.	मार्ग, जिससे उपज का परिवहन किया जाना है.	:	
10.	नाका/डिपो, जहां वनोपज जांच हेतु प्रस्तुत की जाएगी.	:	
11.	पास के अवसान की तारीख	:	
 12.	हथौड़े का चिन्ह (हैमर मार्क)	:	

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर जारी करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-घ [नियम 17 (2) देखिए]

वनोपज के आयात का रजिस्ट्रीकरण ग्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक			पृष्ठ क्रमांक
1.	वनोपज के आयातकर्ता का नाम तथा पता	:.	
2.	आयात की जाने वाली वनोपज का विवरण (क) देश/राज्य, जहां से वनोपज आयात की जाएगी. (ख) आयात की जाने वाली वनोपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा.	: :	
3.	मार्ग, जिससे गंतव्य स्थान तक उसका परिवहन किया जाएगा.	: ,	
4.	गंतव्य स्थान का नाम	:	
5.	जांच नाका/डिपो का नाम, जहां वनोपज जांच हेतु प्रस्तुत की जाएगी.	:	
6.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	:	
7.	रजिस्ट्रीकरण के अवसान की कालाविध	:	



प्ररूप-ङ [नियम 17 (3) देखिए]

..... के दौरान आयातीत तथा व्ययनीत काष्ठ का तिमाही लेखा

आरंभिक अतिशेष		तेशेष आयातीत काप्ठ की मात्रा				योग	विसन काष्ठ				विग्रई के परचात की कुल मोत्रा			उपभोगकी गई याविक्रय द्वाराध्ययनकी गईमाधा			तिमाही के अंत में टिप्पार्फ् अंतिभ अतिशेष				
जाति	ल द संख्या	हा घन	चिरान सामग्री	संख्या	र् ठा घन	लद संख्या	ह्य घ न	विरान घ न	ल संख्या	द्वा पन	चिरान धन	लड् संख्या	ठा घन	विरान घन	लव् संख्या		विरान धन	रहा संस्था	हा. च्या	चिशन धन	
	7341	मीटर	धन मीटर	4041	मीटर		मीटर	मीटर	11341	मीटर	मीटर प्राप्त		मीटर	मीटर	341		मीटर	•	मीटर		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(19)	(20)	(21)	(2

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2000

क्र. एफ-30-40-95-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-30-40-95-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. ए. किन्हाल, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2000

- E. 30-40-95-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927, (No XVI of 1927), the Seate Government hereby makes the following rules for regulating transit of 6 rest produce namely:—
- 1. Shoot title extent and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) rules, 2000.
 - (2) They shall extend to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- Definition.—In these rules, "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927).
- Regulation of Transit of forest produce by means of passes.—No forest produce shall be moved into or out side the State or within the State of Madhya Pradesh except

in the manner as herein after provided without a transit pass in form A, B or C annexed to these rules. The Transit Pass will be issued by a Forest Officer or Gram Panchayat or a person duly authorised under these rules to issue such pass:

Provided that no transit pass shall be required for the removal:—

- (a) Of any forest produce which is being removed for bonafide domestic consumption by any person or in exercise of privilege granted in this behalf by the State Government or of a right recognised under the Act within the limits of a village in which it is produced.
- (b) Of such forest produce as may be exempted by the State Government from the operation of these rules by notification in the official gazetin.
- (c) Of forest produce covered by Money recovering Rated passes/Forest produce passes/ carting challan issued by competent authority in accordance with the rules made in this behalf for the time being in force.
- (d) Of minor forest produce from forests to the local market or to the collection Centre or for bonafide domestic consumption.
- (e) Of mineral from forest for which transit pass is not compulsory under these rule
- 4. Officers and person to issue passes. -- . . ie following

officers and persons shall have power to issue passes under these rules :--

- (A) For forest produce belonging to the Government, the Divisional Forest Officer, the Sub-divisional Forest Officer or any other Officer authorised in this behalf in writing by the Divisional Forest Officer.
- For forest produce owned by any person, the Divisional Forest Officer or any officer not below the rank of Forester or such other person authorised in writing by the Divisional Forest Officer or Gram Panchayat in whose jurisdiction the forest produce is found or grown :-
 - (1) No transit pass will be required to transport the timber and fuel of the following species :-

(i) Neelgiri Eucalyptus sps

(ii) Casuarina Casuarina equsetifolia

(iii) Subabul Leucenea Sps.

(iv) Poplar Populus Sps.

Israili Babul Acacia tortilis (v)

(vi) Vilayati Babul -Prosopis juliflora

- (2) To transport the timber and fuel obtained from the trees found in private land (Bhumi Swami) the transit pass will be issued according to the procedure laid down below :-
 - (a) The transit pass, for transporting timber/fuel and sof following species, shall be issued by the Panchayat according to the recommendation of the "Panchayat Level Committee" duly constituted for this purpose.
 - (i) Babul Acacia nilotica
 - (ii) Siris Albizzia Sps.
- (iii) Neem Azadarechta indica
- (iv) Ber Zizyphus Sps.
- (v) Palas Butea monosperma
- (vi) Jamun Syzygium cumini
- (vii) Reuniha Acacia leucophloea
- (viii) (Bamboo (except in the districts of Khandwa, Betul. Hoshangabad, Harda, Chhindwara, Seoni, Balaghat, Jabalpur, Katni, Mandla, Dindori, Shahdol, Umariya and Sidhi).

- (b) Transit pass for timber/fuel of all the species other than those mentioned under 4(B)(1) and 4(B)(2)(a), shall be issued by the Forest Officer, authorised by the Divisional Forest Officer, according to the recommendation of the Panchayat Level Committee.
- (C) Gram Panchayat or the person authorised by it shall issue the transit pass for transporting the forest produce within the district. To tranport the forest produce outside the district, transit pass shall be issued by the Forest Officer authorised by the Divisional Forest Officer.
- (D) On submission of application, for issue of transit pass, alongwith relevant document and information, the transit pass shall be issued within 45 days of receipt of the application.
- (E) Transport of privately owned timber under the Lok Vaniki Mission, shall also be done according to the procedure prescribed above.
- (F) Action for not issuing transit pass in stipulated time period will be taken against responsible officer/subordinate and Panchayat.
- 5. Rates of Fee for issue of transit pass.—The State Government or an officer authorised by the State Government from time to time shall fix rates of fee for issue of transit pass as per the provisions of rule 4.
- 6. Contents of Transit Pass.—(1) Every transit pass issued under rule 3 shall specify :-
 - (a) The name of the person to whom such pass is
 - (b) The quantity and description of forest produce covered by it; in case of logs, a list along with measurement shall be enclosed with the transit pass.
 - (c) The places from and to which such forest produce is to be conveyed.
 - (d) The route by which such forest produce is to be conveyed.
 - (e) The period of time for which the pass is to be in force.
 - (f) The impression of the valid hammer mark.



- (2) The transit pass shall be issued in forms A, B or C as annexed to these rules, as indicated below:—
 - Form A—To be issued by Forest Officer or the person authorised in this regard.
 - Form B-To be issued by Gram Panchayat.
 - Form C—To be issued in lieu of the foreign pass by the officer authorised by the Divisional Officer, not below the rank of a Forester.
- (3) The sums to be paid in respect of each book of Transit Pass, will be prescribed by the Principal Chief Conservator of Forests, Madhya Pradesh from time to time.
- (4) Transit pass shall be in duplicate and bound in books, which shall be obtainable from the Divisional Forest Officer. Each book shall bear in identifying number and the passes in each book should be numbered serially. First page will be the counterfoil and 2nd page shall be given to the person in charge of the produce.
- Separate passes for each load.—No transit pass shall ordinarily cover more than one load, whether such load be carried by a person, an animal or a vehicle.
- 8. Passes not be tampered with.—No alteration shall be made in anything printed or written on any transit pass, except in the matter of route and period and this may only be done by a forest officer not below the rank of a forester, for sufficient reason to be mentioned in the pass.
- 9. Books of blank passes to be supplied to persons authorised to issue them or the Gram Panchayat.—
 (1) When the Divisional Forest Officer authorises any officer or person under clause (B) and (C) of rule 4 to issue transit passes, he shall furnish such officer or such person, or the Gram Panchayat from time to time with authenticated books of blank passes.
- (2) The authorised person or Gram Panchayat, to whom such book is supplied, shall pay the sum, as, fixed under sub-rule (3) of rule 6.
- (3) The person, who has been authorised to issue passes, shall issue transit passes only in accordance with the conditions of his authorisation.
- 10. Accounts of the Counter foils of used transit passes to be returned.—(1) The Gram Panchayat or any person, to whom Book of transit pass is supplied, shall submit a monthly account to the Divisional Forest Officer, of forest produce extracted through the transit passes issued by him.

- (2) The counterfoils of all used transit passes and unused passes, if any, shall be returned to the officer from whom the book of passes was obtained. No fresh Book of transit pass shall be supplied until the counterfoils of all passes previously used have been returned.
- 11. Counterfoils to be produced for inspection on demand.—Gram Panchayat or any person who has been authorised to issue transit passes under clause (C) of the 4, shall be bound, if called upon by any forest officer not below the rank of forester, to produce for the inspection or to return the counterfoils of all passes which have been issued by such person or Gram Panchayat.
- 12. Procedure on cancellation or expiry of authority to issue passes.—If the authority given under clause (C) of rule 4 is cancelled, the person whose authority is so cancelled shall forthwith return to the officer who gazz the authority every unused book of transit passes and the unused portion of any such book in his possession, together with the counterfoils of used passes, if any which has not already been returned.
- 13. Transit passes used by officer or Gram Panchayat or private persons when invalid.—No transit pass issued by the Gram Panchayat or any officer or person authorised shall be valid:—
 - (a) if such pass is not prepared on a blank form supplied for this purpose under sub-rule (1) of rule 9.
 - (b) if the pass is not covered by recommendation of the Panchayat Level Committee, or
 - (c) if the pass is issued after receipt, by such officer or person or Gram Panchay of an order cancelling the authority to issue such passed)
- 14. Property and Transit marks to be affixed to timber.—No timber shall be moved from or within any district of Madhya Pradesh unless it bears a Government transit mark or Gram Panchayat property mark, of design as shall be prescribed from time to time in anis behalf by the Divisional Forest Officer.
- 15. Registration of property marks.—(1) Every Gram Panchayat on submitting an application shall be allotted a property mark by the Divisional Forest Officer, which shall be affixed on every timber piece for which transit pass is being issued by the Gram Panchayat.
- (2) Any person may apply to the Divisional Forest Officer to have property mark to be attached to timber belonging to him, registered in the office of the Divisional Forest Officer of the Division into which it is sought to be transported.

(3) Every property mark shall consist of a device to be approved by the Divisional Forest Officer:

Provided that no person shall be allowed to register a mark identical with or liable to be mistaken with one already registered by another person or Gram Panchayat or used by the State Government. In case of dispute as to whether the mark proposed for registration has or has not too close resemblance with any other mark previously registered, the decision of the Divisional Forest Officer shall be final.

- (4) A fee of Rs. 50/- shall be payable for registration and such registration shall hold good from the date of registration till the 31st December of that year.
- (5) A certificate of registration showing the device, shall be given by the Divisional Forest Officer to each person registering his mark.
- 16. Forest produce to be removed by day light.— Except with the special permission of the Divisional Forest Officer in writing no forest produce shall be transported between hours of sunset and sunrise within the forests.
- 17. Registration for import of forest produce.—(1) Any person, who intends to import any forest produce into the State of Madhya Pradesh, shall get himself registered in the office of the concerned Divisional Forest Officer where the forest produce is to be transported.
- (2) The Divisional Forest Officer upon receipt of the application for registration, after necessary verification, and on payment of Rs. 500.00 by the applicant, shall register and give the applicant registration certificate of import in Form D and such registration shall be valid for the calender year.
- (3) The person importing the timber shall submit a quarterly account of the same to the concerned Divisional corest Officer in form E.
- 18. Foreign Pass.—(1) (a) All forest produce which is being imported into the State of Madhya Pradesh must be covered with a transit pass issued by the exporting State and in case of timber every piece should be arhammer impression indicated on the transit pass.
- (b) At the border-cheking barrier of Madhya Pradesh new transit pass shall be issued by a forest officer authorised in this regard in lieu of original pass which shall be deposited at the barrier.
- (c) Any timber, that is being imported for use in the State, shall be marked with a hammer.

- (d) Hammering fee as may be prescribed by the State Government, shall be recovered at the border checking barrier.
- (e) In case of forest produce passing through State of Madhya Pradesh, the transit pass from the first borderchecking barrier shall be issued for the destination, mentioning the last border-checking barrier of the State.
- (2) Every foreign pass must be in a form, which has been registered in the office of the Divisional Forest Officer of the Division into which it is sought to be imported forest produce, there under.
- 19. Government markes not to be imitated or effaced.—No person, other than a forest officer or the person authorised by the Gram Panchayat whose duty is to use such markes, shall use any property mark for timber identical with or resembling any Government transit mark or any mark with which timber belonging to Government is merked and no person shall, while any timber is in transit under a pass issued by the officer, Gram Panchayat or person authorised in this behalf under clause (C) of rule 4, alter or afface any mark on the same.
- 20. Forest produce in transit to be stopped and examined.—(1) Any forest produce in transit to which these rules apply and any animal, vehicle, vessel or craft carrying such forest produce, may be stopped, detained, examined and checked at any place by any forest, police of revenue officer if such officer has reasonable grounds for suspecting that it is being transported in contravention of these rules or any money which is due to Government in respect thereof has not been paid or that any forest offence has been or is being committed in respect thereof:

Provided that no such officer shall vexatiously or unnecessarily detain any forest produce which is lawfully in transit, nor vexatiously or unnecessarily unload any such forest produce or cause the same to be unloaded for the purpose of examination.

(2) The person in charge of such forest produce shall furnish to any such officer all the information which he is able to give regarding the same, and if he is removing the same under a transit pass shall produce such pass on demand, for the inspection by such officer and shall not in any way prevent/resist the stoppage or examination of the forest produce by such officer. The same under a transit pass shall produce such pass on demand, for the inspection by such officer and shall not in any way prevent/resist the stoppage or examination of the forest produce by such officer.



- (3) (a) Every forest produce in transit shall be produced for checking at the forest barrier (Checking Nakas) on route.
- (b) The In-cherge of checking barrier shall check and verify the quantity, as per the details given therein and the impression of the hammer mark as shown on the pass. After being satisfied of the legality of the forest produce, the details mentioned in Transit pass will be entered in the register kept on barrier for this purpose and the signature of the driver of vehicle carrying forest produce shall be obtained against the entries so made. The In-charge of checking barrier shall put his dated signature and seal on the prescribed place in the Trasit pass.
- (4) If any discrepancies or irregularities are noted, the provisions of Section 52 of Indian Forest Act, 1927 shall be applicable.
- 21. Prohibiting conversion of Timber.—Within the limits of any reserved, protected or unclassed forest under the control of the Forest Department and within eighty kilometers of such limits no person shall manufacture charcoal, or Katha without the previous sanction in writing of a forest officer not below the rank of the Conservator of Forests.
- 22. Penalties for breach of rules.—(1) Whoever contravenes any of the provisions of these rules or issues trasit passes without authority or in contravention of the provision of these rules shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year or with fine, which may extend to Rs. ten thousand or with both.
- (2) In cases where the offence is committed after sunset and before sunrise, after preparation for resistance to lawful authority or where the offender has been previously convicted of a like offence, the penalty to be inflicted shall be double of those mentioned in sub-rule (1) above.
- 23. Repeal.—On coming into force of these rules, all rules corresponding to these rules in force in any region of the State of Madhya Pradesh immediately before the commencement of these rules shall stand repealed:

Provided that anything done or any action undertaken any rules so repealed shall, unless such thing or action is inconsistent with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
G. A. KINHAL, Addl. Secy.

FORM A

[See rule 6(2)]

Book. No.	Counter foil Transit Pass	Page No.
1.	Locality of Storage :— (a) Range (b) Division	
(2)	Name and address of owner of forest produce—	
(3)	Description of produce and quantity	
(4)	Property mark etc	
(5)	Name of place to which the produces is to be transported—	
(6)	Route by which product is to be transported—	
(7)	Barrier at which forest produce will be produced for check	
	n i o so so	

Note.-Second foil will be similar to the Counterfoil.

date of expiry of pass-

Signature of checking officer.

Signature of issuing officer.

FORM B

[See rule 6(2)]

To be issued by Gram Pachayat

	,	
Book. No.	Counter foil Transit Pass	Page No.
1.	Resolution No. and date— Locality of origin :—	
	(a) Name of the Panchayat/ Village Khassara number—	
	(b) Name of the Bhumiswami-	
3.	Name and address of owner of forest produce—	
4.	Description of produce and quantity—Property mark if any—	
5	Name of place to which the	

5. Name of place to which the produces is to be transported—

Route by which produce is to be transported—

- 7. Barriers at which forest produce will be checked—
- 8. Date of expiry of pass-

Signature of checking officer.

Signature of issuing officer.

Note.—Second foil will be similar to the Counterfoil.

FORM C

[See rule 6 (2)]

To be issued in lieu of foreign pass

Book No.	Counter foil Transit pass	Page No.
1.	Locality of origin :—	

- .. Docum, or origin.
 - a. Name Place
 - b. Name and Status of forest/depot.
 - c. Name Seller
- Name and address of owner of forest produce-
- 3. No. and Date of foreign pass.
- Foreign pass issuing authority:—
- 5. Description of produce and quantity:-
- 6 Property mark etc.
- Name of place where the produce is be transported.
- 8. Name of Border checking barrier.
- Route by which produce is to be transported:

- Barrier/depot at which forest produce will be produced for check.
- 11. Date of expiry of pass.
- Hammer mark.

Signature of checking officer

Signature of issuing officer.

FORM D

[See rule 17 (2)]

(Registration Certificate of Import of Forest Produce).

Book	Page No.
No.	

- Name and address of forest produce importer
- Description of Forest produce to be imported.
 - (a) Country/State from where forest produce will be Imported.
 - (b) Name and approximate quantity of forest produce to be imported.
- Route by which it will be transported to destination.
- 4. Name of destination
- Name of checking barrier/Depot where the forest Produce will be produced for checking.
- Date of registration
- 7. Period of expiry of registration

Signature and designation of registering authority.

FORM E

[See rule 17 (3)]

	Openi	ng Balanc	•	of t	antity imber ported	•	Total			Timbe				end of	Romerks						
speci es		log	sawn -mater (a)	ŀ	οι	log		sawn	1	log	Sawn	1	og	sawn	•	log	SEWB	ī	og	sawn	
	no.	cmt.	cmt.	no.	cmL	no.	cmt.	cmt.	BO.	cmt.	cmt. obtained	no.	cmL	CML.	BO.	cmt.	CML	BO .	cmt	cmt.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)